देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/MMP/208 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 30 अक्तूबर 2021

विशेष रिपोर्ट-2

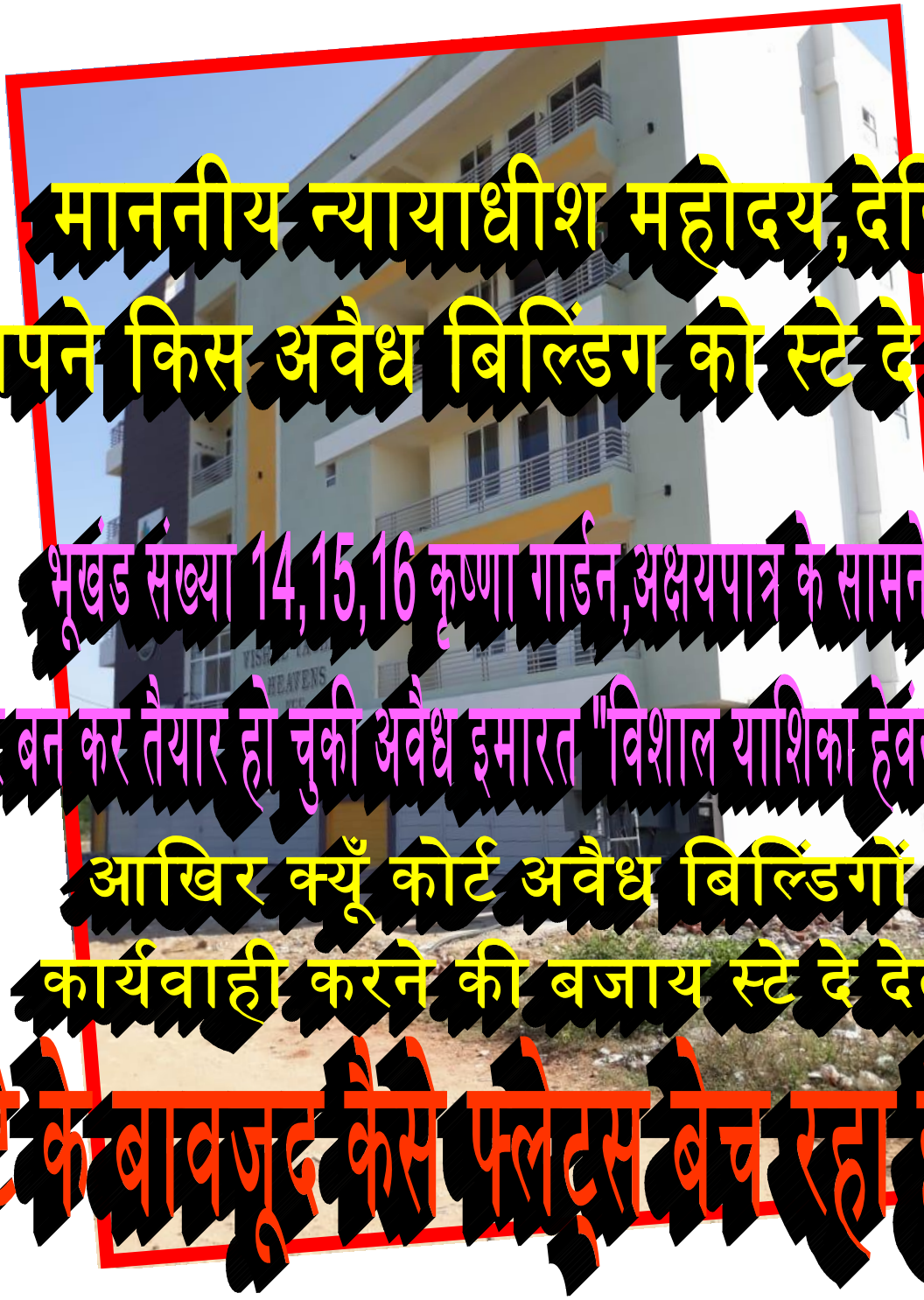

माननीय न्यायाधीश महोदय,देखिये.... आपने किस अवैध बिल्डिंग को स्टे दे रखा है??

भूखंड संख्या 14,15,16 कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने,जगतपुरा पर बन कर तैयार हो चुकी अवैध इमारत "विशाल याशिका हेवंस" का मामला!!!!

आखिर क्यूँ कोर्ट अवैध बिल्डिंगों पर कार्यवाही करने की बजाय स्टे दे देता है?

स्टे के बावजूद कैसे फ्लैट्स बेच रहा है बिल्डर?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन-9 मे स्थित भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा पर बन रही अवैध बिल्डिंग विशाल याशिका हेवंस का है मामला|

जैसा कि इस प्रकरण से जुड़ी पहली रिपोर्ट मे आपको बताया गया था कि जेडीए के ज़ोन 9 मे स्थित भूखंड संख्या 14,15,16, कृष्णा गार्डन,अक्षयपात्र के सामने, जगतपुरा पर जेडीए की नाक के नीचे अवैध बिल्डिंग विशाल याशिका हेवंस का खुलेआम निर्माण कर लिया गया जबकि स्थानीय नागरिकों द्वारा बार बार चेताने के बावजूद जेडीए सोता रहा|वर्तमान मे यहा पर 5 मंज़िला इमारत का निर्माण हो चुका है|जिसमे करीब 35-40 फ्लेटो का निर्माण किया गया है|

स्टे के बावजूद बिल्डर बेच रहा सोशल मीडिया पर माल|

हमारे द्वारा यह मामला जेडीए की प्रवर्तन शाखा के संज्ञान मे लाने पर उनके द्वारा जवाब दिया गया कि इस अवैध बिल्डिंग को जेडीए द्वारा जेडीए एक्ट 1982 की धारा 32,33 के तहत नोटिस जारी किए गए थे,जिन पर बिल्डर द्वारा संबन्धित न्यायालय से स्टे ले लिया गया है|इस मामले मे दिनांक 10/11/2021 को अगली सुनवाई होनी है|लेकिन स्टे के बावजूद इस बिल्डिंग का बिल्डर इस प्रोजेक्ट के फ्लेट्स को जेडीए अनुमोदित बता कर,सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर बेच रहा है|

, , ,	Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	Allocated	22-Oct-2021	परिवाद सम्बंधित अधिकारी को अग्रेषित कर दी गयी है
Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Remarks	28-Oct-2021	प्रकरण में धारा ३२ ३३ के नोटिस जारी किया गया है जिसमे माननिये न्यालय में विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख दिनाक १० -११ -२०२१ नियत है
Jaipur Development Authority (J D A) , Enforcement Officer , (Zone-II) , Enforcement Officer - 9	, , ,	Partially Closed :Relief	28-Oct-2021	प्रकरण में धारा ३२ ३३ के नोटिस जारी किया गया है जिसमे माननिये न्यालय में विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख दिनाक १० -११ -२०२१ नियत है

हमारे द्वारा यह मामला जेडीए के संज्ञान मे लाने पर जेडीए द्वारा दिया गया जवाब|

भूखंड संख्या 14,15,16 कृष्णा गार्डन,अक्षय पात्र के सामने,जगतपुरा पर बन चुकी बिल्डिंग "विशाल याशिका हेवंस" क्या जेडीए इन फोटोज को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा?

जवाब मांगते सवाल?

1. इस प्रकरण मे आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?
2. जेडीए द्वारा इस अवैध बिल्डिंग को कब जेडीए एक्ट 1982 की धारा 32,33 के नोटिस जारी किए गए?
3. जेडीए द्वारा अपने नोटिस मे किन किन अनियमितताओं को उजागर किया गया है?
4. बिल्डर द्वारा अपनी करतूतों को छुपाने के लिए और इस अवैध बिल्डिंग को बचाने के लिए किन गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट से स्टे प्राप्त किया है?यह स्टे कब से चला आ रहा है?
5. अब तक बिल्डर इस अवैध बिल्डिंग मे कितने फ्लेट्स बेच चुका है?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नही रोकने वाले लोकसेवको पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे मे जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन देने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को क्षेत्रवार जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

6. यदि कोर्ट का आदेश इस बिल्डिंग को सील करने या तोड़ने का आता है तो क्या जेडीए आदेश का पालन कर इस बिल्डिंग को सील करेगा या तोड़ेगा?
7. यदि कोर्ट इस बिल्डिंग को सील करने या तोड़ने का आदेश देता है तो क्या यह इस अवैध बिल्डिंग मे फ्लेट्स खरीदने वाले ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी नहीं है?
8. कोर्ट द्वारा स्टे के बावजूद बिल्डर इस अवैध बिल्डिंग के फ्लेट्स कैसे बेच रहा है?
9. क्या अगली सुनवाई दिनांक 10/11/2021 को जेडीए गलत तथ्यों पर लिए गए स्टे को खारिज करवाने मे कामयाब हो पाएगा?क्या जेडीए माननीय न्यायालय को इस बिल्डिंग की वर्तमान तस्वीरे बताएगा?
10. क्या कोर्ट गलत तथ्य पेश करने के विरुद्ध बिल्डर पर कार्यवाही करेगा?
11. इस बिल्डर द्वारा आज दिनांक तक कितनी अवैध बिल्डिंगे बनाई गयी है?